FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

देवाराम वगैरा बनाम भगदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 338/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कदम तामील मय प्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इजलास दोहर आगामी दिनांक 22/02/21 को पेश हो। ह०	
22/02/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कदम तामील मय प्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल [illegible] दोहर आगामी दिनांक 20/04/21 को पेश हो। ह०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested

20/04/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 13/08/2021 को पेश हो। Sd

13/08/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में तामील शुदा प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 09/11/21 को पेश हो। Sd

09/11/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 02/12/2021 को पेश हो। Sd

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/12/21	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत-कुडी कैम्प में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खातेदारी खेत सेट लेट आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य जो पुराने मार्क व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में काश्तकारों की वजह से मिट गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेटो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेटो को लेकर हमेशा प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेटो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली अमल शुमार होकर [signature] दाखिल दफ्तर हो। (SDO)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1424 दिनांकः– 2/12/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देवाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 4 जाति जाट, निवासी चीबी पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. अणदाराम पुत्र लालाराम वगैरा 7 जाति जाट, नि. चीबी पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 338/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –चीबी, पटवार मण्डल –चीबी, तहसील –गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 247/183 रकबा क्रमशः 44.00 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 2/12/21

क्रमांक / वाद / 2021 / 1425–29

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री देवाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 4
4. विप्रार्थी अणदाराम पुत्र लालाराम वगैरा 7
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु